

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद

संख्या.....५५.....

वर्ष 20.२२....



विविधवाद / प्रथम अपील



DISPOSED
18/07/2022

बनाम

अपीलकर्ता श्री उपेन्द्र कुशवाहा,
पंकज सेहता एवं अन्य
ग्राम + पंचायत - बरकटला
पो-बारा, थाना - डेहरादुंग, पलामू
प्रतिवादी जिला आप्त पदाधिकारी
पलामू

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आशा की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	<p>परिवादी श्री उपेन्द्र कुशवाहा, श्री पंकज मेहता एवं अन्य, ग्राम+पंचायत-करकट्टा, पो0-जोगा, थाना-ऊँटारी रोड, जिला-पलामू का परिवाद-पत्र दिनांक-16.03.2022 को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा जनवितरण प्रणाली वितरक, ज्योति महिला समूह, ऊँटारी रोड के विरुद्ध माह नवंबर, 2021 का राशन नहीं दिये जाने एवं डीलर द्वारा धमकी दिये जाने की शिकायत की गयी है।</p> <p>आयोग के पत्रांक-WA/088/2022 दिनांक-22.03.2022 द्वारा अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को 30 दिनों के अन्दर नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया एवं इसकी प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू को भी भेजी गई थी। इस सम्बन्ध में अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू के स्तर से कार्रवाई प्रतिवेदन आयोग को अप्राप्त है।</p> <p>दिनांक-18.07.2022 को पूर्वाह्न 10.30 बजे परिसदन भवन, मेदिनीनगर में राज्य खाद्य आयोग द्वारा पलामू जिला के आयोग में विचाराधीन सभी वाद/अपीलवाद की सुनवाई किया जाना है। आयोग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू को प्रेषित ऐसे परिवाद-पत्र जिनके निष्पादन की सूचना आयोग को प्राप्त नहीं है, की भी सुनवाई पलामू परिसदन में दिनांक-18.07.2022 को किया जाए। उक्त के क्रम में परिवादी, अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, पलामू एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को अपना-अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस किया जा चुका है।</p> <p>अभिलेख दिनांक-18.07.2022 को उपस्थापित करें।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>(शबनम परवीन) सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> </div>	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
18.07.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। वाद सं०-21/2022, 40/2022 एवं 44/2022 के मामले में आज दिनांक-18.07.2022 को परिसदन भवन, मेदिनीनगर, पलामू में सुनवाई की गई। उभय पक्ष उपस्थित।</p> <p>वाद सं०-21/2022, 40/2022 एवं 44/2022 एक ही डीलर से सम्बन्धित होने एवं शिकायत का प्रकार भी एक ही होने के कारण, तीनों वाद की सुनवाई एक साथ की गई। तीनों अभिलेख/वाद में इसी आदेश को अंतिम आदेश माना जाएगा।</p> <p>परिवादी की ओर से मात्र श्री उपेन्द्र कुशवाहा उपस्थित हैं। द्वितीय पक्ष के जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पलामू, सम्बन्धित पणन पदाधिकारी एवं जनवितरण प्रणाली वितरक उपस्थित हैं।</p> <p>परिवादी का कहना है कि डीलर द्वारा कम राशन दिया जाता है, इसलिए वे राशन का उठाव नहीं करते हैं। उनका यह भी कहना है कि परिवार दायर करने के बाद उनका राशन कार्ड भी रद्द कर दिया गया है।</p> <p>द्वितीय पक्ष का कहना है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा भूतपूर्व मुखिया हैं एवं जाँच में पाया गया कि ये राशन कार्ड के लिए अहर्ता नहीं रखते हैं, इसलिए इनका राशन कार्ड रद्द किया गया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि आयोग के गत आदेश के अनुपालन में परिवारियों को मुआवजा सहित अनाज उपलब्ध करा दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि श्री उपेन्द्र कुशवाहा स्वयं भी अनाज नहीं उठाते हैं और ग्रामिणों को भी इस हेतु प्रेरित करते हैं। उनका उद्देश्य 1.25 गुणा मुआवजा राशि प्राप्त करना एवं कराना है।</p> <p>उभय पक्षों को सुनने के बाद आयोग इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि आयोग के गत आदेश का अनुपालन किया जा चुका है। जहाँ तक श्री उपेन्द्र कुशवाहा के राशन कार्ड रद्द किए जाने का प्रश्न है, यदि श्री कुशवाहा राशन कार्ड पाने की अहर्ता रखते हैं, तो इस आशय का परिवार सक्षम प्राधिकार में दायर कर सकते हैं।</p> <p>इस मामले की गहनता से समीक्षा करने पर ज्ञात होता है कि कई-कई माह का राशन नहीं मिलने का शिकायत किया गया। यदि किसी एक माह का भी राशन नहीं मिले तो तुरंत पणन पदाधिकारी को शिकायत करना चाहिए। साथ ही "एक राष्ट्र एक राशन कार्ड" योजना के लाभ का भी इस्तेमाल करना चाहिए। अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी कई-कई महिनों का राशन नहीं मिलने के परिवार के सुनवाई के दौरान इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;">  <p>(शबनम परवीन) सदस्या, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>(हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची।</p> </div> </div>	